प्रकीर्ण वाद संख्या २१९/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं.४६६/२०१८)
भदई आदि बनाम नदीम हुसैन आदि
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण भदई,श्रीमती पूजा एवं ननू द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में नयायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ₹ २,७०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. AXISP00162676618 है।अतः प्रार्थीगण ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उनके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण ने ४सी२ शपथपत्र भदई व अपने-अपने बैक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ४६६/२०१८ भदई आदि बनाम नदीम आदि एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त एम.ए.सी.पी. सं. ४६६/२०१८ में न्यायाधिकरण द्वारा E-Lok Adalat में दिनाँक ०१.११.२०२० को ₹ **२,७०,०००** का एवार्ड पारित किया गया है, जिस धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ को क्रमशः ४०,४० व २० प्रतिशत भाग प्राप्त होना है, जिस धनराशि मं से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी. एस./नेफ्ट के जरिये अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की याचीगण के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर.नं. AXISP00162676618 के जरिये ₹ **२,७०,०००** पी.एन.बी. झोकनबाग में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन मे प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उनके बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट व एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४६६/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २१९/२०२० भदई आदि बनाम नदीम हुसैन आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	**Amount in Rs.**	**+(%of) Interest Accrued 0n Deposited**	**Mode of Disbursment**	**Bank Account Number**	**Bank**	**IFSC Code**
1. Bhadai	27000	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	7279001700005343	PNB Bank Chirgaon jhansi	PUNB0727900
1. Bhadai	81000	30	Annuity scheme for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Smt. Pooja	27000	10	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279001700028517	PNB Bank Chirgaon jhansi	PUNB0727900
2. Smt. Pooja	81000	30	Annuity scheme for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 15:07:05 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

3. Nanu	13500	5	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279001700001028	PNB Bank Chirgaon jhansi	PUNB0727900
3. Nanu	40500	15	Annuity scheme for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
Total	**270000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।